

Yamuna Water to Shekhawati (Hathnikund Barrage, Shekhawati Project).



The Rajasthan government reiterated its intentions to have Yamuna water to reach to the Shekhawati region through Hathnikund Barrage. Water Resources Minister Suresh Singh Rawat added that Haryana has already given a written consent of the proposed alignment as recommended by the consultants, which has enhanced the technical moves of the project. A combined Detailed Project Report (DPR) by Rajasthan and Haryana is also likely to be delivered to the Central Water Commission in the near future. The project work will commence in the financial year 2026-27 after receiving the necessary clearances of concerned departments. A budget of 32000 crore has been allocated under the Rajasthan Budget 2026-27 towards this long awaited plan.

Status and critical decisions of the project.

- The Yamuna water will be supplied between Hathnikund Barrage and Shekhawati.
- Haryana recent written consent is given on the alignment of the proposals made by nominated consultants.
- On project implementation, it is scheduled to commence in FY 2026-27 with requisite approvals.
- The project has been allocated a sum of 32000 crore in the Rajasthan Budget 2026-27.

- The update has been announced by the Minister of Water Resources, Suresh Singh Rawat at Jaipur (18 February).

Preparation of DPR and inter-State Framework.

- On 17 February 2024, a joint DPR was to be prepared with a Memorandum of Understanding (MoU) signed between Rajasthan and Haryana.
- As the Union Jal Shakti Minister, he was the chairman of the MoU signing.
- Both states also formed a joint task force of joint planning.
- The joint DPR is to be submitted to Central Water Commission (CWC) to proceed with the processing.

This is important to Shekhawati because it will help the company expand its customer base and increase sales of the Smartphone by boosting its popularity.

Project objective: The project will address the needs of the Sikar, Churu, Jhunjhunu and the surrounding areas; these needs include drinking water and other requirements.

- The project is associated with a 30 years regional demand of constant water supply.
- It is expected that the results will be increased the levels of social, educational, economic, and health indicators in the region.

It is necessary to achieve Year-Round Availability of Yamuna Water.

- Three dams were proposed to be constructed in the Yamuna basin above Hathnikund Barrage to have supply during the whole year.
- Of them, works of 2 dams namely, Renukaji and Lakhwar are now being undertaken.

Conclusion

The Yamuna water project of Shekhawati has proceeded to the written consent of Haryana on alignment and a jointly-prepared DPR which is currently on the verge of submission to Central Water Commission. The project has a significant budgetary allocation of 32,000 crore and is scheduled to commence in the FY 2026 27, which will make the project one of the key projects to meet the long-standing drinking water and developmental requirements in the north of Rajasthan.

MCOs (RAS Prelims Pattern)

Q1. Considering the Yamuna water project of Shekhawati, which of the following is true?

- a) It will begin in FY 2025- 26 and 12000 crore is assigned.

- b) It will begin in FY 2026-27 and the budget has allocated 32000 crore.
- c) It will begin during FY 2027-28 and there is no provision of the budget.
- d) Work has already commenced and the Haryana approval has yet to be received.

Answer: b

Explanation: The project will commence in the financial year 2026-27 when the approvals are granted and Rajasthan Budget 2026-27 allocates 32000 crore to the project.

Q2. The following MoU between Rajasthan and Haryana was signed concerning Yamuna water to Shekhawati:

- a) 17 February 2024, when preparing a joint DPR.
- b) Immediate construction tendering, 18 February 2026.
- c) 17 February 2025, to transfer complete river rights.
- d) 18 February 2024, to end the joint task force.

Answer: a

Explanation: Rajasthan and Haryana signed an MoU on 17 February 2024 to draft a joint DPR and a joint task force was also established to coordinate the effort.

Q3. Three dams are suggested above Hathnikund Barrage to provide the Yamuna water throughout the year. And what are the two that are reported to be under progress?

- a) Tehri and Bhakra
- b) Renukaji and Lakhwar
- c) Sardar Sarovar and Indira Sagar.
- d) Hirakud and Rihand

Answer: b

Explanation: 3 dams on Yamuna River across Hathnikund Barrage have been proposed and construction of Renukaji and Lakhwar is in progress.

शेखावाटी तक यमुना जल (हथिनीकुंड बैराज-शेखावाटी परियोजना)

राजस्थान सरकार ने हथिनीकुंड बैराज के माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र तक यमुना जल पहुंचाने के अपने इरादे दोहराए हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि सलाहकारों द्वारा सुझाए गए प्रस्तावित अलाइनमेंट पर हरियाणा ने लिखित सहमति दे दी है, जिससे परियोजना की तकनीकी प्रगति को गति मिली है। राजस्थान और हरियाणा द्वारा संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) जल्द ही केंद्रीय जल आयोग (CWC) को प्रस्तुत की जाएगी। संबंधित विभागों से आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद परियोजना पर कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 में शुरू होगा। राजस्थान बजट 2026-27 में इस लंबे समय से प्रतीक्षित योजना के लिए 32,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

परियोजना की स्थिति और प्रमुख निर्णय

- यमुना जल की आपूर्ति हथिनीकुंड बैराज से शेखावाटी के बीच की जाएगी।
- नियुक्त सलाहकारों द्वारा सुझाए गए अलाइनमेंट पर हरियाणा ने हाल ही में लिखित सहमति प्रदान की है।
- परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य आवश्यक स्वीकृतियों के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 में शुरू करने का कार्यक्रम है।
- राजस्थान बजट 2026-27 में परियोजना के लिए 32,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- यह जानकारी जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जयपुर में (18 फरवरी) साझा की।

DPR की तैयारी और अंतर-राज्यीय ढांचा

- 17 फरवरी 2024 को राजस्थान और हरियाणा के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि संयुक्त DPR तैयार की जा सके।
- MoU हस्ताक्षर के समय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री अध्यक्षता में थे।
- दोनों राज्यों ने संयुक्त योजना के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स भी गठित की।
- संयुक्त DPR को आगे की प्रक्रिया के लिए केंद्रीय जल आयोग (CWC) को प्रस्तुत किया जाएगा।

शेखावाटी के लिए महत्व

यह शेखावाटी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कंपनी अपने ग्राहक आधार का विस्तार कर सकेगी और स्मार्टफोन की लोकप्रियता बढ़ाकर बिक्री में वृद्धि करेगी।

परियोजना का उद्देश्य

- परियोजना का उद्देश्य सीकर, चूरू, झुंझुनूं तथा आसपास के क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना है; इनमें पेयजल और अन्य जरूरतें शामिल हैं।
- यह परियोजना निरंतर जल आपूर्ति की 30 वर्षों से चली आ रही क्षेत्रीय मांग से जुड़ी हुई है।

- अपेक्षा है कि इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संकेतकों के स्तर में वृद्धि होगी।

यमुना जल की वर्ष-भर उपलब्धता सुनिश्चित करना

- पूरे वर्ष जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए हथिनीकुंड बैराज के ऊपर यमुना बेसिन में तीन बांधों के निर्माण का प्रस्ताव है।
- इनमें से 2 बांधों—रेणुकाजी और लखवार—पर कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

निष्कर्ष

शेखावाटी के लिए यमुना जल परियोजना में हरियाणा की लिखित अलाइनमेंट स्वीकृति मिलने के बाद आगे बढ़त हुई है और संयुक्त DPR केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किए जाने के चरण में है। 32,000 करोड़ रुपये के बड़े बजटीय प्रावधान के साथ, तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 में कार्य प्रारंभ होने की योजना के चलते, यह परियोजना उत्तर राजस्थान की लंबे समय से चली आ रही पेयजल और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हो सकती है।

MCQs (RAS प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न)

प्र.1. शेखावाटी की यमुना जल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- a) यह वित्तीय वर्ष 2025–26 में शुरू होगी और 12,000 करोड़ रुपये आवंटित हैं।
- b) यह वित्तीय वर्ष 2026–27 में शुरू होगी और बजट में 32,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- c) यह वित्तीय वर्ष 2027–28 में शुरू होगी और बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
- d) कार्य पहले ही शुरू हो चुका है और हरियाणा की स्वीकृति अभी बाकी है।

उत्तर: b

व्याख्या: परियोजना का कार्य आवश्यक स्वीकृतियां मिलने के बाद वित्तीय वर्ष 2026–27 में शुरू होना प्रस्तावित है और राजस्थान बजट 2026–27 में इसके लिए 32,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्र.2. यमुना जल को शेखावाटी तक लाने के संबंध में राजस्थान और हरियाणा के बीच MoU कब हस्ताक्षरित हुआ?

- a) 17 फरवरी 2024, संयुक्त DPR तैयार करने के लिए
- b) 18 फरवरी 2026, तत्काल निर्माण टेंडरिंग के लिए
- c) 17 फरवरी 2025, पूर्ण नदी अधिकार हस्तांतरण के लिए
- d) 18 फरवरी 2024, संयुक्त टास्क फोर्स समाप्त करने के लिए

उत्तर: a

व्याख्या: राजस्थान और हरियाणा ने 17 फरवरी 2024 को संयुक्त DPR तैयार करने हेतु MoU पर हस्ताक्षर किए और समन्वय के लिए संयुक्त टास्क फोर्स भी गठित की गई।

प्र.3. हथिनीकुंड बैराज के ऊपर वर्ष-भर यमुना जल उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित तीन बांधों में से कौन-से दो बांध प्रगति पर बताए गए हैं?

- a) टिहरी और भाखड़ा
- b) रेणुकाजी और लखवार
- c) सरदार सरोवर और इंदिरा सागर

d) हीराकुड और रिहंद

उत्तर: b

व्याख्या: हथिनीकुंड बैराज के ऊपर यमुना बेसिन में तीन बांधों का प्रस्ताव है, जिनमें से रेणुकाजी और लखवार बांधों पर कार्य प्रगति पर बताया गया है।

Rajasthan Increases Social Security Pension to 1300 Rupees per month.



The Rajasthan government has resolved to raise the amount of monthly social security pension to 1300 instead of 1250. It has been decided in relation to the provisions of the Rajasthan Minimum Income Guarantee Act, 2023 under the instructions of the Chief Minister, Bhajanlal Sharma. The improved pension will apply as effective as at 1 January 2026 and payable as at February 2026.

Who Will Benefit

The new amount of pensions will be applicable to those beneficiaries who are covered on categories of social security pensions such as:

- Old age pensioners

- Widows / single women
- Persons with disabilities
- Small and marginal farmers

It is believed that the move will directly affect about 91 lakh pensioners in the state.

Fiscal Impact

- The increase in pensions will put another financial strain of approximately 550 crore per year to the state government.
- The government has said the move enhances the spirit of Antyodaya and helps in dignified living of vulnerable and needy quarters.

Implication to Rajasthan (Exam Angle)

- Represents a welfare-based model that is consistent with a rights-based model within a state law.
- Improves the societal security and offers economic assistance to the weaker groups.
- Shows budgetary and administrative obligation by an effectively defined effective date and payment schedule.

Conclusion

The move made by the Rajasthan government to increase the social security pension of the population by a rate of 1,250 to 1,300 per month, by the Rajasthan Minimum Income Guarantee Act, 2023, increases the welfare policy of the state towards the vulnerable population of elderly, single women, persons with disabilities, and small and marginal farmers. Since the increase is to be considered an increase evaluated as effective 1 January 2026 and payable 2 February 2026, the measure will provide approximately 91 lakh pensioners with economic security, though at the cost of estimated 550 crore per annum to the state budget.

MCOs (RAS Prelims Pattern)

Q1. Rajasthan has raised the monthly social security pension to 1,300 as compared to 1,250. Since when will the increased amount be considered effective?

- a) 1 January 2025
- b) 1 February 2026
- c) 1 January 2026
- d) 18 February 2026

Answer: c

Explanation: The higher amount of pension will be considered in effect on the 1 January of 2026, and the higher amount will be paid on the month of February of 2026.

Q2. The action to raise social security pension in Rajasthan has been adopted in accordance to:

- a) National Food Security Act, 2013
- b) Minimum Income Guarantee Act, 2023 Rajasthan.
- c) Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.
- d) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

Answer: b

Explanation : In accordance with the Rajasthan Minimum Income Guarantee Act, 2023, the retirement pension increase has been passed under the compliance.

Q3. Using the example of social security pension increase in Rajasthan, we have the following statements;

- 1. The raise in the pension would help approximately 91 lakh pensioners.
- 2. The extra financial cost to the state per year is approximately 550 crore.

Which one(s) of the above statements have been correct?

- a) 1 only
- b) 2 only
- c) Both 1 and 2
- d) Neither 1 nor 2

Answer: c

Explanation: The move is estimated to cover some 91 lakh pensioners and generate an extra pressure of some 550 crore on the state exchequer each year.

राजस्थान ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर ₹1,300 प्रति माह की

राजस्थान सरकार ने मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को ₹1,250 से बढ़ाकर ₹1,300 करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री **भजनलाल शर्मा** के निर्देश पर राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी

अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के संदर्भ में लिया गया है। बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी तथा फरवरी 2026 से देय होगी।

किन्हें लाभ मिलेगा

नई पेंशन राशि उन लाभार्थियों पर लागू होगी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की निम्न श्रेणियों में आते हैं:

- वृद्धावस्था पेंशनर
- विधवा / एकल महिला
- दिव्यांगजन
- लघु एवं सीमान्त कृषक

इस निर्णय से राज्य में लगभग 91 लाख पेंशनर्स को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है।

वित्तीय प्रभाव

- पेंशन वृद्धि से राज्य सरकार पर प्रति वर्ष लगभग ₹550 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
- सरकार के अनुसार यह कदम अंत्योदय की भावना को मजबूत करेगा और कमजोर व जरूरतमंद वर्गों को सम्मानजनक जीवन में सहायता देगा।

राजस्थान के लिए महत्व (परीक्षा दृष्टि से)

- राज्य कानून के अंतर्गत अधिकार-आधारित ढांचे के अनुरूप कल्याण-आधारित मॉडल को दर्शाता है।
- सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है तथा कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
- स्पष्ट प्रभावी तिथि और भुगतान समय-सीमा के साथ बजटीय एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ₹1,250 से बढ़ाकर ₹1,300 प्रति माह करना वृद्धजन, एकल/विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन और लघु-सीमान्त कृषकों जैसे कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी नीति को और सुदृढ़ करता है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी तथा फरवरी 2026 से देय होगी। इस कदम से लगभग 91 लाख पेंशनर्स को आर्थिक संबल मिलेगा, हालांकि राज्य बजट पर प्रति वर्ष लगभग ₹550 करोड़ का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा।

MCQs (RAS प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न)

प्र.1. राजस्थान ने मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ₹1,250 से बढ़ाकर ₹1,300 किया है। बढ़ी हुई राशि किस तिथि से प्रभावी मानी जाएगी?

- a) 1 जनवरी 2025
- b) 1 फरवरी 2026
- c) 1 जनवरी 2026
- d) 18 फरवरी 2026

उत्तर: c

व्याख्या: बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और बढ़ी हुई राशि का भुगतान फरवरी 2026 से देय होगा।

प्र.2. राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का निर्णय किसके प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है?

- a) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
- b) राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023
- c) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
- d) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

उत्तर: b

व्याख्या: पेंशन वृद्धि का निर्णय राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप अपनाया गया है।

प्र.3. राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

- पेंशन वृद्धि से लगभग 91 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा।
- राज्य पर प्रति वर्ष लगभग ₹550 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
 - a) केवल 1
 - b) केवल 2
 - c) 1 और 2 दोनों
 - d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या: यह निर्णय लगभग 91 लाख पेंशनर्स को कवर करने का अनुमान है और राज्य के वित्त पर प्रति वर्ष लगभग ₹550 करोड़ का अतिरिक्त भार डालता है।

Budget 2026-27 Rajasthan: Propositions of citizen-focused services and transparent management.



The spirit of the Antyodaya has seen Rajasthan prioritize the citizen-centric approach as the main pillar of the policies. The Rajasthan Budget 2026-27 by Chief Minister Bhajanlal Sharma unveils significant provisions of the digital governance and open administration to enhance the ease of access and quicker grievance redressal. Such announcements as Next-Generation Citizen Service Reforms, Once-Only Principle of documents, integration of JanAadhaar database with departmental portals to

improve welfare eligibility and 100 services through WhatsApp have been announced. Service-delivery outcomes were also promoted by the state in the Economic Review 2025-26, such as the grievance disposal performance with Rajasthan Sampark 181.

The following are the key provisions of the budget 2026-27 concerning the citizen services.

- More emphasis on digital governance and open administration to establish elevated levels of service delivery by the government.
- Reforms in Next-Generation Citizen Services declared to guarantee quicker and more efficient services.
- To expand the use of online delivery of services using platforms and smart service centres.

Reforms in the next generation in citizen service.

Once-Only Principle

- It will be a single submission of documents by citizens and entrepreneurs.
- Internal sharing of documents will be done through the departments distributing the same documents and eliminating the duplication of paper work.

Integrating Data to Improve Welfare Eligibility.

- JanAadhaar database will be connected with the criteria and portals of various departments.
- Goal: make sure that qualified citizens get welfare services, on time.

Expansion of Service Access and 100 Services through WhatsApp.

- The government declared that it was delivering its essential services through WhatsApp.
- 25,000 young people and women will be licensed as an e-Mitra Mini to offer mobile-based services.

By progressive stages, Urban local bodies will establish and man Smart Service Centres where online services can be received such as:

- Birth and death and marriage registration certificates.
- Fire NOC
- Other services that are related to permission/licence.

The Digital Rajasthan New Policy Measures.

- Due Announcement of new IT Policy to reach Digital Rajasthan objective.

- Digital Infrastructure Facilitation Policy to offer State Data Centre services to startups, MSMEs and citizens at reasonable prices.

Geo-spatial Policy to enhance the decision making power in regions including:

- Disaster management
- Urban planning
- Agriculture
- Environmental monitoring

Information-Based Governance: CM-PRAN and RITI.

- An outcome-focused welfare schemes unit CM-PRAN (Policy, Research and Analytics for Measurable Action and Nexus) will be established.
- Rs.10 crore disbursement to receive Rajasthan Institute of Transformation and Innovation (RITI) which was established along the lines of NITI Aayog.

Public Offices and Local Institutions Infrastructure Expenditure.

3000 crore development works provision including:

- Mini secretariats and key office structures in 8 new districts created.
- Construction works and other buildings of 94 new Panchayat Samitis.
- Gram Panchayat basic infrastructures and works in 3,467 gram panchayats.

There was an announcement of the modified form of Rajasthan Jan Vishwas Act 2.0 to enhance good governance and involvement of the people.

Digital Upgrades and Performance of Service Delivery.

The quality of service delivery was emphasized in the Economic Review 2025-26.

Within the year 2025 by way of Rajasthan Sampark 181:

- Cumulative number of complaints registered: 34.43 lakh
- Disposed grievances: 33.88 lakh (less than 2)
- Rajasthan Sampark 2.0 was introduced as an improvement of the digital governance structure.

Digital Assistance to Farmer using Rajkisan Sathi.

- DBT is paid to farmers via the portal known as Rajkisan Sathi until December 2025 at a rate of ₹3,566 crore.

Receiving support/services associated with:

- Over 1.53 crore seed mini-kits.
- Quality-control sampling plant of samples of seeds, fertilisers and pesticides (amounting to) of over 1.35 lakh samples.

Conclusion

Rajasthan Budget 2026- 27 puts citizen-centric governance at the level of delivery in the form of Next-Generation Citizen Service Reforms, WhatsApp-based services, and data-linked welfare eligibility. The state is aiming at making local institutions and digital support to farmers and at making its public services faster, simpler, and more transparent with new digital policies, CM-PRAN to evidence-based decisions, and upgrades such as Rajasthan Sampark 2.0.

MCOs (RAS Prelims Pattern)

Q1. The Next-Generation Citizen Service Reforms of Rajasthan include the principle of Once-Only, which simply refers to:

- a) Citizens are to provide documents annually in order to renew services.
- b) It is only the entrepreneurs and not the citizens who are required to submit documents online.
- c) Once the documents are submitted by citizens and entrepreneurs, they are shared internally and the documents are distributed by departments.
- d) Departments cease to accept any documents but are to rely on affidavits.

Answer: c

Explanation: Once-Only Principle would help minimize the repetitive paperwork by accepting only one copy of documents submitted by citizens and entrepreneur and allowing them to be shared among the departments in order to deliver services to its citizens.

Q2. According to Rajasthan Sampark 181 performance of 2025, what is the correct answer to the following?

- a) 33.88 lakh complaints were registered and 34.43 disposed.
- b) 34.43 lakh grievances were received and 33.88 lakh disposed (over 98%).
- c) 98% of complaints were in the queue because of absence of portals.
- d) It had registered grievances of only 18.1 lakh using the system.

Answer: b

Explanation: Rajasthan Sampark 181 registered 34.43 lakh grievances in 2025, out of which 33.88 lakh were disposed - over 98 percent disposal.

Q3. Taking into account the following statements connected with budget announcements related to the digital service delivery and support farmers:

1. The state of Rajasthan declared that it would provide 100 services through WhatsApp.
2. DBT transfers of 3,566 crore reached farmers were made possible using the Rajkisan Sathi portal until December 2025.

Which of the above-presented statements are correct?

- a) 1 only
- b) 2 only
- c) Both 1 and 2
- d) Neither 1 nor 2

Answer: c

Explanation : The plan is to offer 100 services through WhatsApp in the budget, and Rajkisan Sathi portal recorded DBT transfers of 3.566 crore till December 2025.

बजट 2026-27 राजस्थान: नागरिक-केंद्रित सेवाओं और पारदर्शी प्रशासन के प्रावधान

अंत्योदय की भावना के अनुरूप राजस्थान ने नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को अपनी नीतियों का प्रमुख आधार बनाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान बजट 2026-27 में **डिजिटल गवर्नेंस** और **पारदर्शी प्रशासन** के महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, ताकि सेवाओं तक पहुंच आसान हो और शिकायतों का निस्तारण तेज हो सके। प्रमुख घोषणाओं में **नेक्स्ट-जनरेशन सिटिजन सर्विस रिफॉर्म्स**, दस्तावेजों के लिए **वन्स-ओनली प्रिंसिपल**, कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता बेहतर करने हेतु **जनआधार डेटाबेस** का विभागीय पोर्टलों से एकीकरण, तथा **व्हाट्सऐप के माध्यम से 100 सेवाएं** शामिल हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में राज्य ने **राजस्थान संपर्क 181** के जरिए शिकायत निस्तारण प्रदर्शन जैसे सेवा-परिणामों को भी सामने रखा है।

बजट 2026-27 के नागरिक सेवाओं से जुड़े प्रमुख प्रावधान

- सरकारी सेवा-प्रदायगी के उच्च मानक स्थापित करने हेतु **डिजिटल गवर्नेंस** और **पारदर्शी प्रशासन** पर अधिक जोर।
- **नेक्स्ट-जनरेशन सिटिजन सर्विस रिफॉर्म्स** की घोषणा, ताकि सेवाएं अधिक तेज और प्रभावी बन सकें।

- प्लेटफॉर्म और स्मार्ट सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन सेवा-प्रदायगी का विस्तार।

नेक्स्ट-जनरेशन सिटिजन सर्विस रिफॉर्म्स

वन्स-ओनली प्रिंसिपल

- नागरिक और उद्यमी दस्तावेज केवल एक बार जमा करेंगे।
- विभाग आपस में दस्तावेज आंतरिक रूप से साझा करेंगे, जिससे बार-बार कागजी कार्रवाई की जरूरत कम होगी।

पात्रता सुधार हेतु डेटा एकीकरण

- जनआधार डेटाबेस को विभिन्न विभागों के मानदंडों और पोर्टलों से जोड़ा जाएगा।
- उद्देश्य: पात्र नागरिकों तक कल्याणकारी सेवाएं समय पर पहुंचाना।

व्हाट्सऐप के जरिए 100 सेवाएं और सेवा पहुंच का विस्तार

- सरकार ने प्रमुख सेवाओं को व्हाट्सऐप के माध्यम से उपलब्ध कराने की घोषणा की।
- 25,000 युवाओं और महिलाओं को मिनी ई-मित्र के रूप में अधिकृत किया जाएगा, जो मोबाइल आधारित सेवाएं देंगे।
- चरणबद्ध रूप से नगरीय निकायों में स्मार्ट सेवा केंद्र स्थापित/संचालित किए जाएंगे, जहां ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी जैसे:
 - जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
 - फायर एनओसी
 - अनुमति/लाइसेंस से जुड़ी अन्य सेवाएं

डिजिटल राजस्थान के लिए नई नीतिगत पहल

- डिजिटल राजस्थान लक्ष्य हेतु नई आईटी पॉलिसी की घोषणा।
- डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटेशन पॉलिसी के तहत स्टेट डेटा सेंटर सेवाएं स्टार्टअप्स, एमएसएमई और नागरिकों को किफायती दरों पर उपलब्ध कराना।
- जियो-स्पेशियल पॉलिसी के जरिए निर्णय क्षमता बढ़ाना, जिन क्षेत्रों में शामिल हैं:
 - आपदा प्रबंधन
 - शहरी नियोजन
 - कृषि
 - पर्यावरण निगरानी

डेटा-आधारित शासन: CM-PRAN और RITI

- परिणामोन्मुखी कल्याण योजनाओं और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण हेतु **CM-PRAN (Policy, Research and Analytics for Measurable Action and Nexus)** यूनिट स्थापित की जाएगी।
- नीति आयोग की तर्ज पर बने **राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (RITI)** के लिए **₹10 करोड़** का प्रावधान।

सार्वजनिक कार्यालयों और स्थानीय संस्थाओं के लिए अवसंरचना व्यय

- ₹3,000 करोड़** के विकास कार्यों का प्रावधान, जिनमें शामिल हैं:
 - नवगठित **8 नए जिलों** में मिनी सचिवालय और प्रमुख कार्यालय भवन
 - 94 नई पंचायत समितियों** के भवन/निर्माण कार्य
 - 3,467 ग्राम पंचायतों** में आधारभूत संरचना और अन्य कार्य
- सुशासन और जनभागीदारी को बढ़ाने के लिए **राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0** की घोषणा।

सेवा-प्रदायगी का प्रदर्शन और डिजिटल अपग्रेड

- आर्थिक समीक्षा 2025-26 में सेवा-प्रदायगी की गुणवत्ता पर जोर दिया गया।
- वर्ष 2025 में **राजस्थान संपर्क 181** के माध्यम से:
 - कुल पंजीकृत शिकायतें: **34.43 लाख**
 - निस्तारित शिकायतें: **33.88 लाख (98% से अधिक)**
- डिजिटल गवर्नेंस ढांचे के उन्नयन के रूप में **राजस्थान संपर्क 2.0** शुरू किया गया।

राजकिसान साथी के जरिए किसानों को डिजिटल सहायता

- राजकिसान साथी पोर्टल** के माध्यम से दिसंबर 2025 तक किसानों को **₹3,566 करोड़** की डीबीटी का हस्तांतरण।
- सहायता/सेवाएं जिनसे जुड़ी हैं:
 - 1.53 करोड़ से अधिक** सीड मिनी-किट्स
 - बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के **1.35 लाख से अधिक** नमूनों की गुणवत्ता-नियंत्रण सैंपलिंग सुविधा

निष्कर्ष

राजस्थान बजट 2026-27 ने **नेक्स्ट-जनरेशन सिटिजन सर्विस रिफॉर्म्स**, **व्हाट्सऐप आधारित सेवाएं**, और **डेटा-लिंकड पात्रता** के जरिए नागरिक-केंद्रित शासन को सेवा-प्रदायगी का मानक बनाने की दिशा तय की है। नई डिजिटल नीतियों, साक्ष्य-आधारित निर्णय हेतु **CM-PRAN**, तथा **राजस्थान संपर्क 2.0** जैसे अपग्रेड के साथ राज्य का लक्ष्य सार्वजनिक सेवाओं को अधिक तेज, सरल और

पारदर्शी बनाना है, साथ ही स्थानीय संस्थाओं और किसानों के लिए डिजिटल समर्थन को भी मजबूत करना है।

MCQs (RAS प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न)

प्र.1. राजस्थान के नेक्स्ट-जनरेशन सिटिजन सर्विस रिफॉर्मर्स में “वन्स-ओनली प्रिंसिपल” का सही अर्थ क्या है?

- सेवाओं के नवीनीकरण के लिए नागरिकों को हर साल दस्तावेज जमा करने होंगे।
- केवल उद्यमियों को ही ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने होंगे, नागरिकों को नहीं।
- नागरिक और उद्यमी एक बार दस्तावेज जमा करेंगे, फिर विभाग उन्हें आंतरिक रूप से साझा करेंगे।
- विभाग किसी भी दस्तावेज को स्वीकार नहीं करेंगे और केवल शपथपत्र पर निर्भर रहेंगे।

उत्तर: c

व्याख्या: वन्स-ओनली प्रिंसिपल का उद्देश्य बार-बार कागजी कार्रवाई को कम करना है। इसके तहत नागरिकों और उद्यमियों से दस्तावेज केवल एक बार लिए जाएंगे और सेवा-प्रदायगी के लिए विभागों के बीच आंतरिक रूप से साझा किए जाएंगे।

प्र.2. वर्ष 2025 में राजस्थान संपर्क 181 के प्रदर्शन के अनुसार निम्न में से कौन-सा सही है?

- 33.88 लाख शिकायतें पंजीकृत हुईं और 34.43 लाख निस्तारित हुईं।
- 34.43 लाख शिकायतें पंजीकृत हुईं और 33.88 लाख शिकायतें निस्तारित हुईं (98% से अधिक)।
- पोर्टल की कमी के कारण 98% शिकायतें लंबित रहीं।
- सिस्टम से केवल 18.1 लाख शिकायतें पंजीकृत हुईं।

उत्तर: b

व्याख्या: वर्ष 2025 में राजस्थान संपर्क 181 पर 34.43 लाख शिकायतें पंजीकृत हुईं, जिनमें से 33.88 लाख शिकायतों का निस्तारण हुआ, जो 98% से अधिक निस्तारण दर दर्शाता है।

प्र.3. डिजिटल सेवा-प्रदायगी और किसान सहायता से जुड़े बजट घोषणाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

- राजस्थान ने व्हाट्सएप के जरिए 100 सेवाएं देने की घोषणा की।
- राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से दिसंबर 2025 तक किसानों को ₹3,566 करोड़ की डीबीटी ट्रांसफर की गई।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1, न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या: बजट में व्हाट्सएप के जरिए 100 सेवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। साथ ही राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से दिसंबर 2025 तक किसानों को ₹3,566 करोड़ की डीबीटी ट्रांसफर दर्ज की गई।

RASonly